न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/80/2019 वाद दायर दिनांक 13.09.2019

उनवान

1. सीता पत्नी ओमप्रकाश जाति खटीक आयु वयस्क निवासी करण जी का खेडा कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

1. गंगा पत्नी किशनलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी करण जी का खेडा कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. मंजुबाई पत्नी भैरूलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी करण जी का खेडा कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. भूमिधारी तहसीलदार, कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र शर्मा —वादी
अधिवक्ता श्री बी0एस0गौड़ —प्रतिवादी सं0 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 19.12.2024

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने वाद पत्र आदेश 7 नियम 1 व 2 जा0दी0 सपठित धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में खाता संख्या 332 के आराजी नं0 3549 रकबा 0.01 है0, आराजी नं0 3550 रकबा 0.58 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.59 है0 स्थित है, में वादीया का 1/3 हक हिस्सा निहित होकर दर्ज रेकार्ड है।

यह कि वादगत आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है, वादीया एवं प्रतिवादीगण के बीच मौके पर मौखिक तौर पर कादीम से अपने—अपने हिस्से अनुसार बंटवाडा कर रखा है, जिसमें वादीया मौखिक हिस्से अनुसार काबिज हो काश्त कर रहे है लेकिन राजस्व रेकार्ड में खाता संयुक्त होने के कारण कई तरह की सरकारी अड़चन पैदा होती है, लोन आदि लेने में समस्या रहती है तथा सीमाओं को लेकर विवाद रहते है, इस कारण से वादगत आराजीयात का बंटवाडा कराया जाना आवश्यक है। इसलिए उपरोक्त मौखिक बंटवाडा अनुसार व मौके व कब्जे को ध्यान में रखते हुए बंटवाडा करा, बटवाडा आराजीयात की डिक्री पक्ष वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जाकर बंटवाडा आराजीयात की डिक्री पक्ष वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावें तथा वादीया एवं प्रतिवादीगण का अलग से खाता कायम कराया जाकर के वादीया के आराजीयात की अलग से लगान बन्दी कायम कराई जावें।

यह कि बंटवाडा आराजीयात की डिक्री पक्ष वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जाना आवश्यक है अगर बंटवाडा आराजीयात की डिक्री पक्ष वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी नही फरमाई गई तो वादीया को अनेक समस्याओं का सामना करना पडेगा।

यह कि वादीया के द्वारा दिनांक 31.08.2019 को कुलिया आराजीयात का बंटवाडा कराने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगण ने बंटवाडा कराने से मना कर दिया इसलिए वाद हेतुक दिनांक 31.08. 2019 से जारी होकर निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की कि पक्ष वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण बंटवाडा आराजीयात की डिक्री जारी फरमाई जाकर के वाद पत्र की कॉलम सं0 1 में वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में इस आशय की डिक्री प्रदान कराई जावें कि वादीया के हिस्से को मौके व कब्जे अनुसार पृथक किया जाकर नया आराजी नम्बर कायम किया जाकर अलग जमाबन्दी, लगानबन्दी जारी फरमाई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 2 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने से पूर्व में दिनांक 02.09.2022 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से हाजिर अधिवक्ता श्री बी0एस0गौड़ ने बटवाडा किये जाने में सहमति प्रदान की। उक्त वाद पत्र में दिनांक 11.11.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 24.01.2024 से प्रस्तुत की गई जो शा0फा0 है। बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी द्वारा आदेशिका पर तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही कर हस्ताक्षर किये गये। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 19.12.2024 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन के हल्के बैरूनी में खाता संख्या 332 के आराजी नं0 3549 रकबा 0.01 है0, आराजी नं0 3550 रकबा 0.58 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.59 है0 स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 24.01.2024 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. सीता पत्नि ओमप्रकाश हिस्सा पूर्ण जाति खटीक सा0 करण जी का खेड़ा

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	3550/1	0.1933	चा0 4
योग	कुल किता–01	0.1933	

2. गंगाबाई पत्नि किशनलाल हिस्सा 1/2, मन्जुबाई पत्नि भैरूलाल 1/2 जाति खटीक सा0 करण जी का खेडा

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	3550 मी0	0.3867	चा0 4
योग	कुल किता–01	0.3867	

3. गंगाबाई पत्नि किशनलाल हिस्सा 1/3, मन्जुबाई पत्नि भैरूलाल 1/3 जाति खटीक, सीता पत्नि ओमप्रकाश हिस्सा 1/3 जाति खटीक सा0 करण जी का खेडा

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	3549	0.01	आ0चा0
योग	कुल किता–01	0.01	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19.12.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official